झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...67........ वर्ष 20.23....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा

बनाम

वाद प्राप्ति की तिथि 21/12/2023. | निष्पादित 11/06/2024

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गोड्डा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा, राशन कार्ड सं0–202001142929 का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना सूचना उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि परिवादी अत्यन्त गरीब हैं एवं राशन नहीं मिलने से उनके परिवार के समक्ष खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवादी द्वारा राशन कार्ड के पुनः चालू करवाने एवं दोषी पदाधिकारी को दण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त परिवाद पत्र को आयोग के ई–लेटर सं0–WA/601/2023 दिनांक–08.09.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था, जिसपर कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। उक्त मामले में आयोग स्तर पर आहार पोर्टल के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता के राशन कार्ड को "Not eligible based on inclusion or exclusion criteria" के आधार पर डिलिट कर दिया गया है। जिसके आधार पर पुनः आयोग के पत्रांक–937 दिनांक–10.11.2023 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई।

DSO, गोड्डा के पत्रांक–1101 दिनांक–14.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रद्द करने हेतु दिनांक–24.11.2022 को ऑनलाईन आवेदन कर सरेन्डर किया गया था, जिस कारण BSO लॉगिन से Approved होने के उपरान्त दिनांक–01.04.2023 को DSO लॉगिन से Approved किया गया था।

उक्त मामले में आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–67 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, गोड्डा आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन का प्रमाण पेश करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx26

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2023

30.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि इस वाद में शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान कर अपना विस्तृत प्रतिवेदन अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

28-02-2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित।

इस वाद की कई सुनवाई आयोग में हो चुकी है। मामले की पहली सुनवाई 11.01.2024, तत्पश्चात 30.01.2024 को हुई। सभी सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। पूर्व में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया था कि शिकायतकर्ता श्रीमती निर्मला देवी का राशन कार्ड सं0–202001142929 (Not eligible based on inclusion or exclusion criteria) के कारण रदद् कर दिया गया है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने ये कहा कि उनका राशन कार्ड कैसे रद्द हुआ है ये उन्हें नहीं पता है और न उन्होंने इस आशय का कोई आवेदन दिया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज टेलीफोन पर ये जानकारी दी कि उपरोक्त के प्रावधानों के अनुकुल ये पता करना संभव नहीं है कि किस स्तर से रद्द किया गया है ? जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पिताजी मजदूरी करते हैं और उन्हें खाद्यान्न के अभाव में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आयोग ने टेलीफोन पर ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया कि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति का आकलन करायें। यदि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें तत्काल आकस्मिक खाद्यान्न कोष से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय और तत्काल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए विभाग को भी ये आग्रह भेजा जाय कि इनका राशनकार्ड तुरन्त बनाया जाय। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।

आयोग ने दिनांक–28.02.2024 की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश दिया था कि यदि शिकायतकर्त्ता का राशन कार्ड तत्काल बनाना संभव नहीं है तो उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध करा दे। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कई मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध नहीं है और इस संदर्भ में विभाग से पैसा मांगा गया है। ये अत्यन्त ही गम्भीर विषय है और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि यदि किसी कार्डधारी या बिना कार्डधारी को खाद्यान्न का संकट होता है और आकस्मिक खाद्यान्न कोष भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में किसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति के निर्माण होने पर जिम्मेवारी कौन लेगा। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वो इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार कर ये सुनिश्चित कराने का आग्रह करे कि सभी जिले के सभी मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध हो और इस वाद में विशेष प्रयास करते हुए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाय। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वो शिकायतकर्त्ता के आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए और यदि कोई विषम परिस्थिति के निर्माण होने की आशंका हो तो वे जिले के उपायुक्त से सम्पर्क कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश करे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कृत कार्रवाई से आयोग को अगली सुनवाई में अवगत कराये।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2023

28.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित।

इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को हुई थी। इससे पहले मामले की सुनवाई दिनांक–08.02.2024 को हुई थी। दिनांक–08.02.2024 की सुनवाई में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश दिया था कि यदि शिकायतकर्ता का राशन कार्ड तत्काल बनाना संभव नहीं है तो उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध करा दें। तत्पश्चात् दिनांक–11.03.2024 की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दूरभाष पर आयोग को बताया कि कई मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध नहीं है और इस संदर्भ में विभाग से पैसा मांगा गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस आशय की जानकारी दिये जाने पर आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग के सदस्य सचिव को यह निर्देश दिया था कि वे इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह करें कि सभी जिले के सभी मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध हो। साथ ही आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ता के आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए यदि कोई विषम परिस्थिति के निर्माण होने की आशंका हो तो वे जिले के उपायुक्त से सम्पर्क कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आयोग के पिछले आदेश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आयोग के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का कोई प्रमाण न तो अभिलेख में उपलब्ध है और न वे आज सुनवाई में उपस्थित हैं।

ऐसे में आयोग उपायुक्त, गोड्डा को निर्देश देता है कि वे इस मामले में तत्काल हस्ताक्षेप करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्टीकरण मांगते हुए इस वाद में शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा विभाग को आकस्मिक खाद्यान्न कोष के संदर्भ में भेजे गये पत्र के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अवर सचिव, श्री संजय कुमार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित पत्र की प्रति आयोग को भी भेजी गई है, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आकस्मिक खाद्यान्न कोष हेतु मांग पत्र नहीं भेजे जाने के कारण आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि आवंटित नहीं किये जाने की बात कही है। ऐसे में आयोग उपायुक्त, गोड्डा को यह निर्देश देता है कि वे इस बात की भी पड़ताल करें कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गलत जानकारी किस परिस्थिति में दी और सही समय पर विभाग से आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि की मांग नहीं करने के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है ? आयोग उपायुक्त, को निर्देश देता है कि वे विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को प्रेषित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। . आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। . (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2023

12.04.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित।

आयोग के दिनांक–28.03.2024 के निर्देश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी का ना तो कोई प्रतिवेदन उपलब्ध है ना ही आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा उपस्थित हैं। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने कहा कि इस वाद की कई सुनवाई हो चुकी है, बावजूद इसके उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। विषय की गम्भीरता को देखते हुऐ आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस मामले को तत्काल न्याय दिलाने के लिए दिनांक–19.04.2024 को गोड्डा के सर्किट हाउस में पूर्वाह्न 11:00 बजे सुनवाई रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आयोग जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि वो इस वाद से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक–19.04.2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे सर्किट हाउस, गोड्डा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि शिकायतकर्ता को उनका अधिकार दिलाया जा सके। आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी सूचनार्थ भेज दी जाय। शिकायतकर्ता को भी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए दूरभाष पर सूचित कर दिया जाय।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों के भेज दी जाय।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2024	**वाद सं0–67 / 2023** अपरिहार्य कारणों से आज की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। शिकायतकर्ता के शिकायत का निष्पादन करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को दूरभाष के माध्यम से निदेशित किया गया।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2023

29.04.2024

अभिलेख उपस्थापित।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को गोड्डा परिसदन भवन में निर्धारित की गई थी लेकिन वैधानिक कारणों से सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदन भेज कर इस आशय की जानकारी दी गई कि शिकायतकर्ता को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से चावल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है एवं शिकायतकर्ता के हरा राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

दूरभाष पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर शिकायतकर्ता ने माना कि पणन पदाधिकारी द्वारा 25 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता का जब तक हरा राशन कार्ड नहीं बन जाता है, तब तक नियमित तौर उन्हें पर आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध कराया जाता रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस बात का भी प्रयास करेंगे कि शिकायतकर्ता का हरा राशन कार्ड जल्द से जल्द से बन जाए। शिकायतकर्ता को खाद्यान्न का संकट होने पर, इसकी जिम्मेवारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

11.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा एवं द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।

इस वाद में शिकायतकर्त्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी दूरभाष के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित हुए। आयोग के आदेश के आलोक में शिकायतकर्त्ता को आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से 25 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। शिकायतकर्त्ता ने आज ये बताया कि उन्हें सिर्फ एक बार 25 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है। लेकिन उनके सामने खाद्यान्न का संकट है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी जब शिकायतकर्त्ता के आर्थिक स्थिति कि जानकारी ली तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी ये माना की शिकायतकर्त्ता आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्हें खाद्यान्न का संकट है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो शिकायतकर्त्ता को तबतक जबतक उन्हें खाद्यान्न का संकट है, आकस्मिक खाद्यान्न कोष से खाद्यान्न नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध करायें और उनके नियमित राशन कार्ड बनने तक शिकायतकर्त्ता के खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश मुखिया को दें। उपरोक्त निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267